सं. 1(11)/2018-समन्वय
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
मंत्रिमंडल के लिए जनवरी, 2025 माह की डीपीई की मासिक उपलब्धियां
****

1. **सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों में पूंजीगत व्यय**:

वर्ष 2024-25 के लिए जनवरी, 2025 के अंत तक चुनिंदा सीपीएसई (जिनका वार्षिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अनुमान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों (अर्थात रेलवे बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दामोदर घाटी निगम) की पूंजीगत व्यय की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दिनांक 06.02.2025 को प्रस्तुत की गई। दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक, इन संस्थाओं ने लगभग 6.68 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.76 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का 87.41% है।

2. **सीपीएसई का समझौता ज्ञापन:**

वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 91 सीपीएसई का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन अब पूरा हो गया है।

3. **सीपीएसई का संचालन:**

1. भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) को नवरत्न का दर्जा देने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिनांक 24 जनवरी, 2025 को शीर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई।

2. डीपीई ने दिनांक 31 जनवरी, 2025 को सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतन स्तर उन्नयन पर दिशानिर्देशों में पीईएसबी द्वारा किए गए हालिया परिवर्तनों पर नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति (एसीसी) के सचिवालय/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को अपनी टिप्पणियां भेजीं।

3. डीपीई ने निम्नलिखित के संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया:

(क) संशोधित दरों पर आईडीए के भुगतान के संबंध में "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पद – दिनांक 01.01.2017 से वेतनमानों का संशोधन पर दिनांक 28.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई(मजूरी कक्ष)-जीएल-/2025 जारी किया।

(ख) संशोधित दरों पर आईडीए के भुगतान के संबंध में "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पद – दिनांक 01.01.2007 से वेतनमानों का संशोधन पर दिनांक 28.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0002/2014-डीपीई(मजूरी कक्ष)-जीएल-/2025 जारी किया।

(ग) संशोधित दरों पर आईडीए के भुगतान के संबंध में "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पद – दिनांक 01.01.1997 से वेतनमानों का संशोधन पर दिनांक 28.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0004/2014-डीपीई(मजूरी कक्ष)-जीएल-/2025 जारी किया।

(घ) 1987 और 1992 के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में आईडीए वेतनमानों का पालन करने वाले बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में दिनांक 28.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0003/2014-डीपीई(मजूरी कक्ष)-जीएल-/2025 जारी किया।

4. **अंतर-मंत्रालयी बैठकें और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/मंत्रिमंडल नोट:**

(i) जनवरी, 2025 के दौरान डीपीई द्वारा 4 आईएमजी/सीएमसीडीसी बैठकों में भाग लिया गया।

(ii) डीपीई ने निम्नलिखित मंत्रिमंडल/ईएफसी टिप्पणियों पर अभ्युक्तियां प्रस्तुत कीं।

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, 2019 के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय से पहले पेंशन लाभों के भुगतान के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा मसौदा मंत्रिमंडल नोट परिचालित किया गया।

(ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मसौदा मंत्रिमंडल नोट और मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 परिचालित किया गया।

5. **क्षमता निर्माण:**

डीपीई के 79 कर्मचारियों (वाईपी/वाईए सहित) ने दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक आई-गॉट पोर्टल पर 2386 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

6. **एएमआरसीडी मामलों की स्थिति**:

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 193 मामले सूचित/दर्ज किए गए। वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर 49 मामलों को खारिज कर दिया गया। 49 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 72 मामले सचिवों की समिति के पास निर्णयाधीन हैं। शेष 23 मामले जांच और अनुमोदन के लिए संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास लंबित हैं।

*****